रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 1982/श्रावण 4, 1904
No. 4] NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 1982/SRAVANA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या : राज/महा. आ अर्जन/1250

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 14 जुलाई, 1982

यतः मुझे, मोहन सिंह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० भूमि है तथा जो उदयपुर मे स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-10-1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सुजाता एन० सौनी
पत्नि श्री नरेन्द्र सौनी, उदयपुर ..... (अन्तरक)

(2) डाक्टर (मिसेज) मालती एस०, जोहरी, बम्बई .... (अन्तरिती)

*(3) श्री/श्रीमती/कुमारी ... (वह व्यक्ति जिसके अधियोग ....में संपत्ति है)

*(4) श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में..... ...अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील

से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लैण्ड मेजरिंग 28,288 वर्गफुट जो विट्ठल वाटिका, उदयपुर में उपपंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2284 दिनांक 5-10-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है।

मोहन सिंह,

तारीख 14-6-82 सक्षम प्राधिकारी

मोहर : सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए) अर्जन रेंज, जयपुर

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961).

Ref. No. 1250

Government of India
Office of the I.A.C.
Acquistion Range, JAIPUR
Date 14/7/82

Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refereed to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Udaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 5-10-1981 for an apparent consideration which is less the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer ; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the Transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Mrs. Sujata N. Soni, w/o Sh. Narendra Soni, Udipur. (Transferor)

(2) Dr. (Mrs). Malti S. Johari, Bombay. (Transferee)

*(3) Shri/Shrimati/Kumari .... (Persons in occupation of the .... Property).

*(4) Shri/Shrimati/Kumari ....(Person whom the under signed .... knows to be interested in the poperty objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expreessions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Land measuring 28 288 sq. ft. situated at Vithal Vatika, Udaipur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Udaipur vide No. 2284 dated 5/10/81.

MOHAN SINGH,
Date : 14/7/82 Competent Authority
(Inspecting Assistant
Seal : Commissioner of Income-tax
Acquistion Range, Jaipur)

*Strike off where not applicable.

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन अधिसूचना

आदेश संख्या . राज./सहा. आ. अर्जन/1251

भारत सरकार
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर
तारीख 14-7-82

यतः मुझे मोहन सिंह, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो उदयपुर में स्थित है, (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-10-1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी की आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात —

(1) श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री मोहन लाल सैनी द्वारा आयुर्वेद सेवाश्रम, उदयपुर (अन्तरक)

(2) डाक्टर (मिसेज) मालती एस जोहरी, बम्बई (अन्तरिती)

*(3) श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग. .. ..में सम्पत्ति है)

*(4) श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति, जिसके बारे में . . ..अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप,—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लैण्ड मेजरिंग 20,470 वर्गफुट स्थित विठ्ठल वाटिका उदयपुर जो उपपंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2281 दिनांक 5-10-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

मोहन सिंह

तारीख 14-7-82 सक्षम प्राधिकारी

मोहर सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

*(जो लागू न हो उसे काट दीजिए) अर्जन रेंज, जयपुर

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ref. 1251

Government of India
Office of the I.A
Acquistion Range, Jaipur
Date : 14-7-82

Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Udaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 5-10-81 for an apparent consideration which is less the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arisnig from the transfer ; and/or

b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the Transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269 D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Surendera S/o Mohanlal Soni, C/o Ayurved Sewasharam, Udaipur (Transferor)

(2) Shri/Shrimati/Kumari. . . . .Dr. (Mrs. Malti S. Johari, Bombay (Transferee)

*(3) Shri/Shrimati/Kumari .....(Person in occupation of the ... .property)

(4) Shri/Shrimati/Kumari ....(Person whom the undersigned knows to be interested in the property objections, if any to the acquisition of the said property

may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expreessions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Land measuring 20,470 sq. ft. situated at Vithal Vatika, Udiapur and more fully described in the sale deed registered by S.R. Udaipur vide No. 2281 dated 5-10-81.

MOHAN SINGH
Competent Authority

Date : 14-7-82

Seal : Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquistion Range, Jaipur

*Strike off where not applicable

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या : राज०/सहा०/आ०/अर्जन/1252

भारत सरकार
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर, तारीख 14-7-82

यत: मुझे मोहन सिंह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो उदयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-10-81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती शान्ती एम. सोनी पत्नि श्री सुरेन्द्र सोनी द्वारा एम० एच० सोनी, आयुर्वेद सेवाश्रम, उदयपुर—(अन्तरक)

(2) डा० (मिसेज) मालती एम० जोहरी, बम्बई (अन्तरिती)

*(3) श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

*(4) श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लैण्ड मेजरिंग 20,167.5 वर्ग फुट जो विठल वाटिका, उदयपुर में स्थित है और उपपंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2280 दिनांक 13-10-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र मे और विस्तृत रूप से विवरणित है।

मोहन सिंह
सक्षम प्राधिकारी

तारीख 14-7-82.

मोहर सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर

*(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

NOTICE UNDER SECTION 269, D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ref. No. 1252

Government of India
Office of the I.A.C.
Acquisition Range, JAIPUR
Date : 14-7-82

Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated

at Udaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 13-10-81 for an apparent consideration which is less the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the Transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

(1) Shrimati Shanti S. Soni
w/o Shri Srendera Soni,

C/o M.H. Soni, Ayurved Sewashram, Udaipur .....(Transferor)

(2) Shrimati Dr. (Mrs.) Malti S. Johari, Bombay .....(Transferee)

*(3) Shri/Shrimati/Kumari.....(Person in occupation of the .....property).

*(4) Shri/Shrimati/Kumari .....(Person whom the undersigned ..... knows to be interested in the property) objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expire later:

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation:— The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Land measuring 20, 167.5 sq. ft. situated at Vithal Vatika, Udaipur and more fully described in the sale deed registered by S.R. Udaipur vide No. 2280 dated 13-10-81.

MOHAN SINGH,
Competent Authority

Date : 14-7-82

Seal : **(Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Acquisition Range, Jaipur).**

*Strike off where not applicable

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या : राज०/सहा० आ० अर्जन/1253 भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 14-7-82

यतः मुझे मोहन सिंह, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो उदयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-10-81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नरेन्द्र एम० सोनी पुत्र मोहन लाल सोनी द्वारा आयुर्वेद सेवाश्रम, उदयपुर (अन्तरक)।

(2) डा० (मिसेज) मालती एस० जोहरी, बम्बई (अन्तरिती)।

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी.....(वह व्यक्ति जिसके अधियोग.....में सम्पत्ति है)।

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी.....(वह व्यक्ति, जिसके बारे में.....अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर, पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया गया है।

अनुसूची

प्लाट आफ लैण्ड मेजरिंग 27,696 वर्गफुट स्टोर हाऊस एवं फार्म हाउस सहित, स्थित विठल वाटिका उदयपुर जो उप पंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2283 दिनांक 14-10-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

(मोहन सिंह)

तारीख 14-7-82 सक्षम प्राधिकारी

मोहर सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए अर्जन रेंज, जयपुर

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ref. No. 1253

Government of India

Office of the I.A.C. Acquisition Range, JAIPUR

Date 14-7-82

Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hercin-after referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Land situated at Udaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 14/10/81 for an apparent consideration which is less the fair Market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the Transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 26°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

(1) Shri Narendra M. Soni
S/o Mohanlal Soni,
C/o Ayurved Sewashram,
Udaipur..... .. ..(Transferor)

(2) Shri/Shrimati/Kumari Dr. (Mrs.) Malti S. Johari, Bombay .....(Transferee).

* (3) Shri/Shrimati/Kumari .....(Person in occupation of the ..... property).

*(4) Shri/Shrimati/Kumari .....(Person whom the undersigned.....knows to be interested in the property) objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation:- The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Plot of land measuring 27,696 sq. ft. including Store house and farm house situated at Vithal Vatika Udaipur and more fully described in the sale deed registered by S.R. Udaipur vide No. 2283 dated 14-10-81.

MOHAN SINGH,

Date 14-7-82 Competent Authority

Seal : **(Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Acquisition Range, Jaipur).**

*Strike off where not applicable

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या. राज०/सह०आ० अर्जन/1254 भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 14-7-82

यतः मुझ मोहन सिंह, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि

स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो उदयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 15-10-81 की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से लाभ के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से वर्णित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और; या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ, अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्री मोहन लाल पुत्र हीरा लाल सोनी द्वारा आयुर्वेद सेवाश्रम उदयपुर (अन्तरक)

(2) डाक्टर (मिसेज) मालती एम० जोहरी, बम्बई (अन्तरिती)

*(3) श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति जिसके अधियोग में सम्पत्ति है)

*(4) श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति, 16,946 वर्गफुट जमीन सहित, स्थित विठल वाटिका, पिछोला झील, उदयपुर जो उप पंजीयक, उदयपुर द्वारा क्रम सं० 2282 दिनांक 15-10-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है।

तारीख 14-7-82 मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी

मोहर सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

*(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)। अर्जन रेंज जयपुर

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ref. No. 1254/

Government of India
Office of the I.A.C. Acquisition Range, JAIPUR
Dated 14/7/82

Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Land situated at Uadipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 15/10/81 for an apparent consideration which is less the fair market value of the aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the Transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

(1) Shri Mohan Lal S/o Heeralal Soni C/o Arurved Sewashram Udaipur. (Transferor)

(2) Shrimati Dr. (Mrs.) Malti S. Johari, Bombay ..... (Transferee)

*(3) Shri/Shrimati/Kumari..... ..... (Person in occupation of the property)

*(4) Shri/Shrimati/Kumari.....(Person whom the undersigned knows to be interested in the property objections, if any, to the

acquisition of the said property may be mad in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property including 16,946 sq. ft. of land situated at Vithal Vatika Pichhola Lake, Udaipur and more fully described in the sale deed registered by S.R. Udaipur vide No. 2282 dated 15/10/81.

MOHAN SINGH,

Date 14/7/82 Competent Authority

Seal : **(Inspecting Asstt.Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Jaipur.**

*Strike off where not applicable

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या . राज / सहा० आ० अर्जन / 1255

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज जयपुर

तारीख 14-7-82

यत : मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो श्रीगंगानगर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीगंगानगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-10-1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल, से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और; या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :-

(1) श्री अर्जुन सिंह आहूजा पुत्र श्री सूरज सिंह निवासी 29 पब्लिक पार्क श्री गंगानगर ----------(अन्तरक)

(2) श्रीमती मधुलिका कुमारी युवरानी साहिबा आफ मलया निवासी 121 एल मार्क कारमिकल रोड बम्बई (अन्तरिती)

*(3) श्री /श्रीमती / कुमारी ----------(वह व्यक्ति जिसके अधियोग ----------में सम्पत्ति है)

*(4) श्री/श्रीमती/कुमारी---------- वह व्यक्ति जिनके बारे में ---------- अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप–

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

37 बीघा कृषि भूमि स्थित चक 1 छोटी श्रीगंगानगर, जो उप पंजियक, श्रीगंगानगर द्वारा क्रम संख्या 2197 दिनांक 7-10-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र मे और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

(मोहन सिंह सक्षम प्राधिकारी)

तारीख 14-7-82

मोहर..... सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

*(जो लागू न हो उसे काट दीजिए) अर्जन रेंज जयपुर

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ref. No. 1255/

Government of India
Office of the I.A.A.C. Acquisition Range,
JAIPUR
Date 14/7/82.

Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agri. land situated at Sriganganagar (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under

the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sriganganagar on 7/10/81 for an apparent consideration which is less the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the Transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Arjun Singh Ahuja s/o Shri Sukha Singh (Transferor) R/o 29-Public Park, Sriganganagar.

(2) Shrimati Madhulika Kumari Yuvarani Sahiba of Maliya (Transferee) 121-Land Mark Carmichel Road, Bombay.

*(3) Shri/Shrimati/Kumari.................. (Person in occupation of the.................. property).

*(4) Shri/Shrimati/Kumari..............(Person whom the undersigned knows to be interested in the property objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersined :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used, herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

37 bigha of agriculture land situated at Chak 1-E Chhoti, Sriganganagar and more fully described in the sale deed registered by S.R. Sriganganagar vide No. 2197 dated 7-10-81.

(MOHAN SINGH)

Date 14/7/82 Competent Authority

Seal **(Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Acquisition Range, Jaipur.)**

*Strike off where not applicable,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

आदेश सख्या : राज०/सहा० आ० अर्जन/1256

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज जयपुर

तारीख 14 जुलाई, 1982

यत मुझे मोहन सिह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० कृषि भूमि है तथा जो श्रीगगानगर मे स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्री गगानगर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-10-81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप मे कथित नही किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए और, या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए

अत अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात —

(1) श्री प्यारा सिह, स्वर्ण सिह एव अचित्तर सिह पुत्र श्री धरयाम सिह निवासी चक 1 ए छोटी, श्रीगगानगर (अन्तरक)

(2) मैसर्स गणेश उद्योग, 1-ए छोटी श्रीगगानगर (अन्तरिती)

*(3) श्री/श्रीमती/कुमारी ------- (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग ------------------------------ मे सम्पत्ति है)

*(4) श्री/श्रीमती/कुमारी ········ (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

8 बीघा कृषि भूमि स्थित चक 1 ए छोटी, श्रीगंगानगर जो उपपंजियक, श्रीगंगानगर द्वारा क्रम संख्या 2285 दिनांक 12-10-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

(मोहन सिंह)
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जयपुर

तारीख 14-7-82
मोहर

*जो लागू न हो काट दिया।

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ref. No. 1256/-

Government of India

Office of the I.A.C. Acquisition Range, JAIPUR

Date : 14/7/82

Whereas, I, Mohan Singh being the competent authority under Section 269D of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961)(herein after referred to as the 'said Act'), and bearing No.Agi. land situated at Sriganganagar (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Sriganganagar on 12/10/81 for an apparent consideration which is less the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the Transferee for the purposes of the Indian Income Tax-Act, 1922(11 to 1922) or the said Act or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby inititate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

(1) Shri Pyara Singh, Swaran Singh and Bachittar Singh sons of Sh. Varyan Singh R/o Chak 1-A Chhoti, Sriganganagar. (Transferor)

(2) M/s. Ganesh Udyog 1-A Chhoti, Sriganganagar.(Tansferee)
.....
.....

*(3) Shri/Shrimati/Kumari .....
(Persons in occupation of the.....
.....property)

(4) Shri/Shrimati/Kumari .....
Person whom the undersigned.....
.....knows to be interested in the property objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation:— The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

8 bigha of agriculture land situated at Chak 1-A Chhoti, Sriganganagar and more fully described in the the sale deed registered by S. R. Sriganganagar vide No. 2285 dated 12-10-81.

Date 14-7-82 (MOHAN SINGH)

Seal : Competent Authority

(Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Acquisition Range, Jalpur)

* Strike off where not applicable

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या : राज / सहा० आ० अर्जन /1257

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 14 जुलाई, 1982

यत: मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269 'ख' के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि

स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भवन है तथा जो श्रीगंगानगर में स्थित है, (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीगंगानगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-10-1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और; या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री महावीर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री नानक चन्द गुप्ता निवासी गंगानगर वर्तमान निवासी 3 प्रीतम रोड डालानवाला, देहरादून ..... (अन्तरक)

(2) श्री पवन कुमार लीला पुत्र श्री किशनलाल लीला निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा मैसर्स कृष्णा टाकीज, श्रीगंगानगर ..... (अन्तरिती)

*(3) श्री /श्रीमती / कुमारी---------- (वह व्यक्ति जिसके अधियोग में सम्पत्ति है।)

*(4) श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मैसर्स कृष्णा टाकीज, 28 इण्डस्ट्रियल एरिया, श्रीगंगानगर का 7 प्रतिशत भाग जो उप पंजियक श्रीगंगानगर द्वारा क्रम संख्या 2192 दिनांक 5-10-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

(मोहन सिंह)
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 14-7-82
मोहर.....
*(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ref. No. 1257/

Government of India

office of the I.A.C. Acquisition Range, JAIPUR
dated 14/7/82

Whereas, I, Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961(43 of 1961) (herein after referred to as the 'said act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.. .Building situated at Sriganganagar (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Sriganganagar on 5-10-81 for an apparent consideration which is less the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the Transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons namely:—

(1) Shri Mahabir Pd. Gupta s/o Sh. Nanakchand Gupta R/o Ganganagar at present 3-Preetam Road, Dalanwala, Dehradun. ....(Transferor)

(2) Shri Pawan Kumar Lilla S/o Sh. Kishanlal Lilla R/o Old Abadi Sriganganagar, C/o Krishna Talkies, Sriganganagar...(Transferee)

*(3) Shri/Shrimati/Kumari.....(Person in occupation of the..... .....property)

*(4) Shri/Shrimati/Kumar..... (Person whom the.....

.....undersigned knows to be interested in the property objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

*Strike off where not applicable.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

7% share of M/s. Krishna Talkies, 28-Industrial Area, Sriganganagar and more fully described in the sale deed registered by S.R. Sriganganagar vide No. 2192 dated 5-10-81.

(MOHAN SINGH)
Competent Authority

Date : 14-7-82
Seal :

(Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Acquisition Range, Jaipur).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982